

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद ।

अति अल्पकालिन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिला एवं प्रखंड स्तर पर नियुक्ति संबंधी सूचना  
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-1016 (अनु0) ग्रा0वि0-10-PMAY-G-54/2016 राँची, दिनांक-01.03.2017 ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक -10-PMAY-G-54/2016/ ग्रा0वि0-4615 राँची दिनांक 01.09.2017 एवं पत्रांक -10-PMAY-G-54/2016/ग्रा0वि0-2397 राँची दिनांक 12.06.2018 के आलोक में प्रशिक्षण समन्वयक (जिला स्तर), प्रखण्ड समन्वयक एवं लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखंड स्तर) पद की नियुक्ति हेतु कार्मिक प्रशासन सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या - 5776 दिनांक 10.10.2012 तथा संकल्प संख्या-2020 दिनांक 09.04.2010 द्वारा निर्गत कोटिवार एवं जिलावार आरक्षण रोस्टर के अनुसार देय आरक्षण के अनुरूप किया जाना है। स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या-14/स्थानीयता नीति-14-04/2018/3854 राँची, दिनांक 01.06.2018 प्रभावी होगी। विभागीय पत्रांक 3036 दिनांक 18.07.2018 के आलोक में धनबाद जिला के स्थानीय अभ्यर्थियों/व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित की जाती है।

धनबाद जिला के जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर स्वीकृत पद एवं आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति					मासिक मानदेय
			अनारक्षित	अ0पि0 वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अ0जा0	अ0ज0 जा0	
1	प्रशिक्षण समन्वयक	01	01	00	00	00	00	35,000/-
2	प्रखण्ड समन्वयक (प्रखण्ड स्तर)	01	00	00	01	00	00	18,000/-
3	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखण्ड स्तर)	10	05	02	01	01	01	10,000/-

नोट : आरक्षण का लाभ नियमानुसार देय होगा।

शैक्षणिक योग्यता/कार्य अनुभव :-

- प्रशिक्षण समन्वयक : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
- प्रखण्ड समन्वयक : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
- लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर : मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।


आयु सीमा :- 18 से 30 वर्ष (उम्र की गणना दिनांक 31.8.18 के आधार पर की जायेगी।

आवेदन शुल्क :-

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	प्रशिक्षण समन्वयक	500/-	सामान्य/अ0पिछड़ा/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए
		300/-	अ0जा0/अ0ज0जा0 श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए
2	प्रखण्ड समन्वयक	400/-	सामान्य/अ0पिछड़ा/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए
		200/-	अ0जा0/अ0ज0जा0 श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए
3	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	150/-	सामान्य/अ0पिछड़ा/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए
		100/-	अ0जा0/अ0ज0जा0 श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए

आवेदन की प्रक्रिया/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-


आवेदकों को ऑनलाईन विभागीय पोर्टल <http://applyrdd.jharkhad.gov.in> पर जाकर आवेदन करना है, जहाँ नियुक्ति संबंधित संपूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक-1.9.18 से प्रारंभ होकर दिनांक 15.9.18 तक भरा जायेगा।

  
उपाध्यक्ष,  
धनबाद।

ज्ञापांक 1180 / जि0ग्रा0, दिनांक 28/08/18


प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्थानीय संस्करण समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

- प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था -सह- वैब मैनेजर, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित, निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला के वेबसाईट dhanbad.nic.in पर शीघ्रताशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला के वेबसाईट dhanbad.nic.in पर शीघ्रताशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि विभागीय पोर्टल को अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने हेतु Link उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
उपयुक्त,  
धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय (विधि-व्यवस्था कौषांग), धनबाद।  
सं.पं.:- 852 /दिनांक:- 29/08/18

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को सूचना एवं आवश्यक क्रियार्थ संचित।

  
-सह-  
अपर जिला दण्डाधिकारी  
(वि० व्य०) धनबाद।  
29/08/18